रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 622] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 17, 2011/कार्तिक 26, 1933
No. 622] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 17, 2011/KARTIKA 26, 1933

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 816(अ).—कोलियरी नियंत्रण नियमावली, 2004 के नियम 15 के साथ पठित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह निर्दिष्ट करती है कि उक्त नियमावली के नियम 9 और 11 के अंतर्गत केन्द्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग भारत सरकार में कोयला नियंत्रक द्वारा भी किया जाएगा।

[फा. सं. 28012/5/2001-सीए-II(खंड-III)]

ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: कोलियरी नियंत्रण नियमावली, 2004 भारत के राजपत्र में दिनांक 25 अगस्त, 2004 को भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 540 (अ) के तहत प्रकाशित किया गया था जिसे अब तक संशोधित नहीं किया गया है।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2011

G.S.R. 816(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 26 of the Mines and Minernals (Development and Regulations) Act, 1957 (67 of 1957) read with rule 15 of the Colliery Control Rules, 2004, the Central Government hereby specifies that the powers of the Central Government under rules 9 and 11 of the said Rules shall also be exercised by the Coal Controller in the Government of India.

[F. No. 28012/5/2001-CA-II (Vol-III)]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.

Note :—The Colliery Control Rules, 2004 were published in the Gazette of India vide G.S.R. No. 540(E) in Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 25th August, 2004 which have not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 817(अ).—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन), अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कोलियरी नियंत्रण नियमावली, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

(1) इन नियमों को कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) नियमावली, 2011 कहा जाए ।

(2) ये 25 अगस्त, 2004 से लागू हुआ माने जाएंगे।

(3) कोलियरी नियंत्रण नियमावली, 2004 में, नियम 15 में, शब्दों और अंकों "नियम 6, 7 और 11" के स्थान पर शब्दों और अंकों "नियम 6, 9 और 11" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. 28012/5/2001-सीए-II(खंड-III)]

ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

पश्चगामी प्रभाव देकर, केन्द्र सरकार कोयला नियंत्रक को कोलियरी नियंत्रण नियमावली, 2004 के नियम 6, 9 और 11 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार देती है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना को पश्चगामी प्रभाव दिए जाने से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होता है।

टिप्पणी: मुख्य नियमावली को दिनांक 25 अगस्त, 2004 को भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2011

G.S.R. 817(E).—In exercise of powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 18 of the Mines and Minernals (Development and Regulations) Act, 1957 (67 of 1957) the Central Government hereby makes the following amendments to the Colliery Control Rule, 2004, namely :—

(1) These rules may be called the Colliery Control (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall be deemed to have come into force on 25th August, 2004.

(3) In the Colliery Control Rules, 2004, in rule 15, for the words and figures "rules 6,7 and 11", the words and figures "rules 6, 9 and 11", shall be substituted.

[F. No. 28012/5/2001-CA-II (Vol-III)]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

By giving a retrospective effect the Central Government empowers the Coal Controller to exercise its powers under rules 6, 9 and 11 of the Colliery Control Rules, 2004.

It is certified that, no person is prejudicially affected by the notification being given a retrospective effect.

Note : The Principal Rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 25th August, 2004.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 818(अ).—सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 1-1-2000 को भारत के राजपत्र, भाग-II खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 को तत्काल प्रभाव से रद्द करती है, इस प्रकार के निरस्तीकरण का इस अधिसूचना के पूर्व उक्त आदेश के अंतर्गत की गई किसी बात अथवा किए जाने के लिए छोड़ी गई किसी बात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 28012/5/2001-सीए-II (खंड-III)]

ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: कोलियरी नियंत्रण नियमावली, 2004 भारत के राजपत्र में दिनांक 25 अगस्त, 2004 को भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 540 (अ) के तहत प्रकाशित किया गया था जिसे अब तक संशोधित नहीं किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2011

G.S.R. 818(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby rescinds the Colliery Control Order, 2000, published in the Gazette of India, Part -II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1-1-2000, with immediate effect; such rescission shall not affect anything done or omitted to be done under the said Order before this Notification.

[F. No. 28012/5/2001-CA-II (Vol-III)]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.

Note :—The Colliery Control Rules, 2004 were published in the Gazette of India vide G.S.R. 540(E) in Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 25th August, 2004 which have not been amended so far.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.